राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित/पीजी–2019/2019/ दिनांक : 04/02/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/
समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज/
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं
समस्त नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान ।

विषयः–प्री–पीजी में आवेदित सेवारत कोटे के तहत पात्रता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय में प्री–पीजी–2019 के लिए आवेदन पत्र आपके माध्यम से प्रमाणित हो कर प्राप्त हुए हैं की सूची सलग्न कर भिजवाई जा रही है का अवलोकन कर यह प्रमाण पत्र दिनांक 07.02.19 तक निदेशालय को प्रेषित करें कि सूचि में वर्णित समस्त सूचनाएं सही है।

यहां उल्लेखनीय है कि यदि किसी भी अभ्यार्थी के सम्बन्ध में कोई सूचना अपूर्ण है अथवा सही नहीं है तो वस्तुस्थिती की जानकारी भी उक्त तिथी तक अधोहस्ताक्षरकर्ता की मेल आईडी rajdpcgaz@gmail.com पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

यहां पुनः निर्देशित किया जाता है कि किसी अभ्यार्थी के सदंर्भ में कोई सूचना यदि भविष्य में सही नहीं पाई जाती है अथवा कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी चिकित्सक को गलत सूचना की वजह से लाभ प्राप्त हो जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वंय एवं सम्बन्धित चिकित्सक की होगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार। P-1 से 65 तक

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित/पीजी–2019/2019/ 1547 **दिनांक : 04/02/2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधिनस्थ को आप अपने स्तर से भी उक्त के सम्बन्ध में पाबन्द करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय सूची विभागीय वेब–साईट पर अप–लोड करावें **(सूची सलग्न)**।
4. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।